कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल – 462004

क्रमांक– 481 /अका0प्र0/आउशि/2011, भोपाल, दिनांक 06.06.2011

मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों
की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओ में प्रवेश के लिए
मार्गदर्शक सिद्वान्त सत्र 2011–2012
सेमेस्टर पद्धति हेतु

1 – प्रयुक्ति

ये मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक–6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुये लागू होगें तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी. आई., ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के उन पाठयक्रमों के लिए लागू नही होगें।

2 – प्रवेश की तिथि

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में ही आवेदन अनिवार्य है। (प्रारूप संलग्न) विद्यार्थी प्रवेश हेतु अपने आवेदन–पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित 20 मई से दिनांक 20 जून तक संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे। इसके पश्चात् प्रवेश हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन के पूर्व लगाई जायेगी। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी जनसाधारण मे इसका व्यापक प्रचार–प्रसार जनभागीदारी मद से किया जाए। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणित किये जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन–पत्र जमा किये जाए । बोर्ड/विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा नहीं होने पर प्रावधिक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवेदन–पत्र जमा किए जाए। इंटरनेट से डाउन लोड की गई अंकसूची भी मान्य होगी। मुक्त विद्यालय/विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी परीक्षा परिणाम घोषित न होने पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रावधिक प्रवेश देने की पात्रता होगी ।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना

स्थानान्तरण प्रकरणों को छोड़कर 26 जून तक प्राचार्य स्वयं तथा 30 जून तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होगें। निर्धारित

तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में भी प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश नियमित हो जायेगा एवं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थियों का 100 रूपये प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापस कर दी जायेगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये। इस हेतु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदक का प्रवेश निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व, अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही दिया जायेगा। कर्मचारी के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कुलपति की अनुमति से कर्मचारी के परिवार के विद्यार्थी को प्रवेश दिया जा सकता है।

2.3 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश

- **प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश**

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को **विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय में प्रवेश के अतिरिक्त वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृहविज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी** । गृह विज्ञान संकाय में 10+2 परीक्षा, गृह विज्ञान से उत्तीर्ण छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी किन्तु स्थान रिक्त होने पर क्रमशः विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय तथा 10+2 परीक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। **10+2 का तात्पर्य म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है। इन आवेदकों को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र लेकर आवेदन के साथ लगाना आवश्यक होगा।**

(ख) 10+2 कृषि से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर में केवल **जीव विज्ञान** समूह में अथवा कला संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ग) सभी **उत्कृष्ट महाविद्यालयों** में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में **न्यूनतम 55 प्रतिशत** अंकों की अनिवार्यता होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी । **जिन जिला मुख्यालयों पर छात्रों हेतु एक ही महाविद्यालय है और उसे उत्कृष्ट घोषित किया गया है, वहा यह न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी।**

- **अन्य सेमेस्टरों में प्रवेश**

सेमेस्टर पाठ्यक्रम में प्रवेश महाविद्यालय स्तर पर एक बार ही दिया जायेगा। शेष सेमेस्टरों में नियमानुसार शुल्क का भुगतान करने पर प्रवेश मान्य किया जाएगा।

2.4 स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित प्रवेश

	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
(क)	एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम
	एम.एससी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एससी.
	एम.एससी. (गृहविज्ञान), प्रथम सेमेस्टर	बी.एससी. (गृहविज्ञान)

(ख) किसी भी संकाय में उत्तीर्ण स्नातक को एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण/कुल दो प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को उसी विषय के तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी ।

(घ) सभी उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी । जिन जिला मुख्यालयों पर छात्रों हेतु एक ही महाविद्यालय है और उसे उत्कृष्ट घोषित किया गया है, वहा यह न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी।

(ङ.)स्नातकोत्तर सेमेस्टर पाठ्यक्रम में प्रवेश महाविद्यालय स्तर पर एक बार ही दिया जायेगा। शेष सेमेस्टरों में केवल शुल्क का भुगतान करने पर नियमानुसार प्रवेश मान्य किया जाएगा।

2.5 स्नातक प्रथम सेमेस्टर में पूरक छात्रों को प्रवेश

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिये हायर सेकेण्डरी (सेन्ट्रल बोर्ड+माध्यमिक शिक्षा मण्डल,भोपाल) की परीक्षाओं में जिन विद्यार्थियों को पूरक की पात्रता आई थी तथा पूरक परीक्षा में उनके उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक से 15 दिनों तक महाविद्यालय में नियमित प्रवेश, स्थान रिक्त होने तथा गुणानुक्रम में आने पर प्राचार्य द्वारा दिया जा सकेगा। किन्तु इन विद्यार्थियों को सेमेस्टर के प्रारंभ में अपने दायित्व पर प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

3– प्रवेश संख्या का निर्धारण

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था/प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, उपलब्ध सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिये विद्यार्थी संख्या का निर्धारण करेंगे और इस संख्या का विषयवार, कक्षावार एवं पालीवार (प्रातः एवं दोपहर की शिफ्ट अनुसार) निर्धारण कर प्रवेश प्रारंभ होने के पूर्व महाविद्यालय की वेबसाइट एवं प्रवेश विवरणिका में प्रकाशित करेंगे । तथापि **प्राचार्य का यह अधिकार वहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ सीटों की संख्या का निर्णय शासन अथवा विश्वविद्यालय व्दारा किया गया है।** विधि स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में बार कौंसिल व्दारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार एवं अन्य कक्षाओं हेतु UGC के अनुसार अधिकतम **80 विद्यार्थियों** को ही **प्रति सेक्शन** में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जाए। संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय/महाविद्यालय व्दारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित

विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे। जिस विषय में नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं है एवं पूर्व वर्षों के अनुभव के आधार पर ज्ञात है कि उस विषय में अतिथि विद्वान भी उपलब्ध नहीं होंगे उन विषयों में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाए ।

महाविद्यालय में सीट रिक्त होने पर शासन स्तर से प्रवेश दिया जा सकेगा।

समस्त प्राचार्य आदेश क्रमांक 1214/747/आउशि/योजना/09 दिनांक 8.9.2009 को जारी आदेश के अनुसार विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध साफ्टवेयर में प्रवेश की अंतिम तिथि के 15 दिनों के अन्दर जानकारी अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे।

4– प्रवेश सूची

प्राचार्य द्वारा, प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहॉ अधिभार देय है, वहॉ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्राप्त प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी तथा इसकी प्रति को महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जावेगा। प्रवेश समिति व्दारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित करने एवं जहॉ आवश्यक हो, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये। घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/– जनभागीदारी मद में अतिरिक्त रूप से लेकर प्रवेश दिया जा सकेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जून के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो प्रवेश निरस्त माना जाएगा।

5– प्रवेश की पात्रता

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

(क) म0प्र0 के मूल/स्थायी, म0प्र0 में स्थायी संपत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन म0प्र0 में हो, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जावेगा । उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) संबंधित विश्वविद्यालय से या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे :–

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत की छूट, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पात्रता की अन्य शर्ते पूरी होती हों।
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि ।
4. मूल निवासी अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षो में आवर्जन की सुविधा ।
6. तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक सीट आरक्षित करना।

5.2 विधि संकाय में नियमित प्रवेश

विधि संकाय में प्रवेश बी.सी.आई. के नियमानुसार दिया जाएगा ।

6– समकक्ष परीक्षा

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है । प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षायें म0प्र0 के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है ।

6.3 संबंधित विश्वविद्यालय व्दारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं है की जानकारी प्राचार्य संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त करेंगे ।

6.4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय यथा लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लिनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयलाजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग आफ डाटा–प्रोसेसिंग मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, टी. डी.पी.पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्क शाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ **माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण छात्रों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरांत संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा ।** ऐसे आवेदकों को प्रवेश आवेदन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता/अर्हता प्रमाण–पत्र लगाना अनिवार्य होगा।

किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र को अंतिम माना जायेगा।

6.5 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की उत्तर मध्यमा परीक्षा को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जायेगा।

7– बाह्य आवेदकों का प्रवेश

7.1 स्नातक स्तर तक बी0ए0/बी0काम/बी0एससी/बी0एससी0 (गृह विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से म0प्र0 के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7.2 म0प्र0 के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा म.प्र. के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके व्दारा सम्बंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषय/विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

7.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा। शपथ–पत्र के प्रारूप में फर्जी किसी भी तरह की झूटी/गलत जानकारी देने पर विद्यार्थी प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

7.4 प्राचार्यों को राज्य के बाहर के विद्यार्थियों का पुलिस सत्यापन पृथक से कराया जाना सुनिश्चित करना होगा।

7.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों हेतु 80 प्रतिशत तथा बाहरी राज्य के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत सीटों की व्यवस्था लागू करनी होगी।

7.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

7.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं है उन विषयों में बाहरी राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

7.8 बाहरी राज्य के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण पुलिस थाने के माध्यम से कराया जाना आवश्यक होगा।

7.9 बाहरी राज्यों के अध्ययनरत् विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं उनके द्वारा अन्य विद्यार्थियों एवं मेहमानों को अपने कक्ष मे ठहराने के पूर्व वार्डन से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा वार्डन इसकी सूचना प्राचार्य को यथाशीघ्र देंगे। छात्रों द्वारा प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण–पत्र,

विश्वविद्यालय से पात्रता संबंधी प्रमाण–पत्र इत्यादि की मूल प्रति महाविद्यालय में जमा करने के पश्चात् ही महाविद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। मूल प्रमाण–पत्रों के अभाव में महाविद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

8–प्रावधिक प्रवेश की पात्रता

प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्नातक में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/ चतुर्थ तक कुल दो विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में दो प्रश्नपत्रों में ए.टी.के. टी. (Allowed To Keep Term) प्राप्त आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी ।

ए.टी.के.टी. से संबधित प्रवेश नियम

1. स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी इसमें कुल 6 सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 2 सेमेस्टर होंगे । स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम अधिकतम 5 वर्ष में पूर्ण करना है । प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में सभी विषय की प्रायोगिक (जहॉ लागू है) एवं सैद्धांतिक परीक्षा होगी । दो विषय में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Term) की पात्रता होगी अर्थात् विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल जायेगा ।
2. स्नातक पंचम सेमेस्टर में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनका प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर (प्रथम वर्ष) पूर्णतया उत्तीर्ण हो । अन्य अनुत्तीर्ण विद्यार्थी पूर्व छात्र के रूप में प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे ।
3. (अ) जिन विद्यार्थियो को पूर्व छात्र की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे । उत्तीर्ण होने की स्थिति में उन्हें जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा ।

9– प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता

9.1 जिन आवेदकों के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चालान प्रस्तुत किया गया हो/ न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थियों/ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर प्रमाणित आरोप हों/ चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये प्राचार्य अधिकृत नहीं है।

9.2 महाविद्यालय में तोड़ फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी/रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं है। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञाप क्र. एफ–1–16/2007 (सी पी पी ।।) अप्रेल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा ।

9.3 (क) **स्नातक स्तर प्रथम सेमेस्टर में 22 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी।** अंतिम प्रवेश सूची जारी होते समय स्थान रिक्त होने पर उम्र का बंधन शिथिल कर प्रवेश दिया जा सकेगा।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय कार्यालय तथा उनके व्दारा नियंत्रित संस्थाओं व्दारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार व्दारा प्रायोजित अथवा किसी विदेशी सरकार व्दारा अनुशंसित विदेशों से अध्ययन हेतु भेजे गये विद्यार्थियों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा।

(ग) स्नातकोत्तर एवं योग पाठ्यक्रमों मे ंप्रवेश हेतु आयु सीमा का बंधन नही होगा।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी ।

(ड.) विकलांग, सामान्य निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी तथा इन आवेदकों को प्राप्तांकों पर 5 प्रतिशत अधिभार प्रदान किया जायेगा ।

(च) प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी।

9.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने

के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा। किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को, (विधि संकाय) को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी।

10– प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा ।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओ में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा से प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।

10.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला स्तर के अध्यापन का कार्य होने के कारण जिस बोर्ड से उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता प्राप्त हो उसी बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जाएगा।

11– प्रवेश हेतु प्राथमिकता

किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश, महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12– आरक्षण मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगें। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनशील होंगे।

12.2 पिछडे वर्ग के (क्रीमीलेयर छोड़कर) आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र और पौत्रियों /भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से अपंग हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों, भूतपूर्व तथा वर्तमान में कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों को तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे । इससे संबद्ध विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गो का, सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से ही उपलब्ध कराया जाएगा । भारतीय सेना के उक्त प्रकार के सेना कर्मियों/ अधिकारियों के लिए प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा –

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित ।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित ।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित ।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से अपंग तथा उनके आश्रित ।
5. निम्नलिखित शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना,वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख ।
6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित ।
7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित ।

12.4 निःशक्तजन श्रेणी के आवेदक के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण उनके संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान में ही उपलब्ध कराया जावेगा। निःशक्तजनों के प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

12.5 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होगें।

12.6 उच्च शिक्षा विभाग,मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यो, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों,क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

12.7 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग

जैसे—स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, संवर्ग की शेष सीटें भरी जावेगी ।

12.8 अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पाठ्यक्रमों में जहॉ प्रवेश किसी प्रवेश—परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है, आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा, किन्तु प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

12.9 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा । 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.10 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिये पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये उपलब्ध रहेंगे।

12.11 समय—समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

13— अधिभार

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा । पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नही किया जाएगा । अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा । अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नही किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार का लाभ देय होगा ।

13.1 एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउटस (स्काउटस शब्द को स्काउट/गाईडस/रेन्जर्स के अर्थ में पढ़ा जावे) :

(क) एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 'ए' सर्टीफिकेट	02 प्रतिशत
(ख) एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 'बी' सटीफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस	03 प्रतिशत
(ग) 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन0सी0सी0 प्रतियोगिता	04 प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में म0प्र0 के एन0सी0सी0 कन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट	05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
(झ) म0प्र0 का सर्वश्रेष्ट एन0सी0सी0 केडेट	10 प्रतिशत
(य) डयूक आफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन0सी0सी0 केडेट	15 प्रतिशत
(र) भारत व अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्चेंज प्रोग्राम	15 प्रतिशत
(ल) एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले केडिट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
(व) भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये (प्रस्तावित)	02 प्रतिशित

(श) जूडो / कराटे Yellow	02 प्रतिशत
Brown	03 प्रतिशत
Black	04 प्रतिशत
13.2 आनर्स विषय पाठयक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नाकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर ।	10 प्रतिशत
13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उर्त्तीण विद्याथियों को एल0एल0बी0 प्रथम में प्रवेश देने पर	05 प्रतिशत
13.4 खेलकूद /साहित्यिक / सांस्कृतिक /क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं–	
(1) लोकशिक्षण संचालनालय अथवा म0प्र0 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –	
(क) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को–	02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को–	04 प्रतिशत
(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग / राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय / राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए0आई0यू0) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा भारतीय अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में:–	
(क) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को–	06 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को–	07 प्रतिशत
(ग) संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधत्व करने वाले प्रतियोगी को–	05 प्रतिशत
(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में:–	
(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को –	15 प्रतिशत
(ख) टीम प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को –	12 प्रतिशत
(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को –	10 प्रतिशत
13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को–	10 प्रतिशत

13.6 मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में –

(क) म0प्र0 का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को– 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली म0प्र0 की टीम के सदस्यों को– 12 प्रतिशत

(ग) बशर्ते कि म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र संबंधित जिले के खेल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा ।

13.7 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को– 01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन एन0सी0सी0 के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेटस तथा ओलम्पिक एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया एस0जी0एफ0आई0 द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे जिनकी उन्हें पात्रता है :

बशर्ते कि –

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय को प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जावेगें । स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु तब के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होगें।

13.10 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनमें राज्य सरकार सह प्रायोजक होती है वहॉ प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिभार का प्रतिशत कण्डिका 13.4 के अनुरूप होगा ।

14 – संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन

(क) स्नातक/ स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्ताकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा । अधिभार घटे हुए, प्राप्तांको पर देय होगा ।

(ख) महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 15 जुलाई तक दी जावेगी।

15– विशेष

15.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर/गलत जानकारी देकर, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

15.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना, लगातार पंद्रह दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

15.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

15.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को अवधान राशि (कॉशन मनी) के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नही किया जायेगा।

15.5 तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हो जाने पर विद्यार्थी को मात्र 100/– प्रक्रिया काटकर जमा की गई सम्पूर्ण शुल्क की राशि वापिस की जाएगी । प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी अनुत्तीर्ण घोषित होने पर रूपये 100/– प्रकिया शुल्क काटकर शेष राशि वापिस कर दी जाएगी ।

15.6 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण /मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 भोपाल से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

15.7 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन निरसन का संपूर्ण अधिकार म0प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

शासन द्वारा अनुमोदित

(डॉ0 व्ही0एस0 निरंजन)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क0 482/अका0प्र0/आ3/दि/2011
भोपाल, दिनांक 06-06-2011

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. समस्त उप सचिव/अवर सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,म0प्र0 की ओर सूचनार्थ उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को वितरित करने हेतु प्रेषित ।
6. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा शाखा–13 को अशासकीय महाविद्यालयों को वितरित करने हेतु प्रेषित।
7. समस्त कुलसचिव, मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय।
8. समस्त अधिकारी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।

आयुक्त,
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश